अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1282(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 388(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने रायलसीमा सेवा समिति(आर0ए0एस0एस0) सं0 9, पुराना हुजूर कार्यालय भवन, तिरूपति, आन्ध्रप्रदेश, द्वारा एम0आर0 पाली, तिरूपति देहात, चित्तूर जिला, आन्ध्रप्रदेश में प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र और महिला छात्रावास के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 22 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 865(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया थ ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पॉच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायलसीमा सेवा समिति(आर0ए0एस0एस0) सं0 9, पुराना हुजूर कार्यालय भवन, तिरूपति, आन्ध्रप्रदेश, द्वारा एम0आर0 पाली, तिरूपति देहात, चित्तूर जिला, आन्ध्रप्रदेश में चलाई जा रही प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र और महिला छात्रावास के निर्माण परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र बानवे लाख, रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 374/2002/फा. सं. एन सी-113/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)